बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसं09/आ0–02–26/2015.........1235 (9) दिनांक– 01/12/016 डॉ0 कौशलेश कुमार सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रतनीफरीदपुर, जहानाबाद के विरुद्ध श्री उपेन्द्र नारायण, लिपिक, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रतनीफरीदपुर, जहानाबाद के आपराधिक कांड का अभियुक्त होने के बावजूद उनके उपार्जित अवकाश स्वीकृति संबंधी आवेदन को अनुशंसा पत्र के साथ सिविल सर्जन जहानाबाद को भेजने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या 577(9) दिनांक– 03.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप आंशिक प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक– 108(9) दिनांक– 28.01.2016 द्वारा कौशलेश कुमार सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

आरोप, अधिगम तथा आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 कौशलेश कुमार सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रतनीफरीदपुर, जहानाबाद के विरूद्ध निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया जाता है–

(1) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 1235 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक : 01/12/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/ सिविल सर्जन जहानाबाद बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 कौशलेश कुमार सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रतनीफरीदपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Notification 2016.docx